

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
आवश्यक सूचना

नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत्) के स्वीकृत/रिक्त पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2401 दिनांक-18.07.2007 के आलोक में सविदा के आधार पर नियोजन हेतु दिनांक-19.11.2020 से 10.12.2020 तक विभागीय वेबसाइट पर Online आवेदन आमंत्रित किया गया। विभागीय कमिटी द्वारा प्राप्त Online आवेदन की स्कूटनी के पश्चात् विभिन्न कोटि के योग्य एवं अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराया गया है, जो विभागीय वेबसाइट state.bihar.gov.in/urban/Citizen Home.html के Notice Board पर upload है।

2. कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक/विद्युत्) के उक्त पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि, आरक्षण कोटि आदि का भौतिक रूप से सत्यापन किया जाना है। अतः विभागीय वेबसाइट state.bihar.gov.in/urban/Citizen Home.html के Notice Board पर upload सूची के योग्य अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों आदि का भौतिक सत्यापन मौलाना मजहरूल हक ऑडिटोरियम, हज भवन, पटना में निम्नांकित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित किया जाता है :-

क्र० सं०	पदनाम	दल/आरक्षण कोटि/क्रम संख्या	Counselling की निर्धारित तिथि समय
1	2	3	4
1	कनीय अभियंता (असैनिक)	प्रथम दल GEN (M)- Other (क्रम सं०-01 से 60) द्वितीय दल GEN (M)- Govt. of Bihar (क्रम सं०-01 से 56) तृतीय दल GEN (F)- Other (क्रम सं०-01 से 46) चतुर्थ दल EBC (M)- Other (All) पंचम दल EBC (F)- Other (All) षष्ठम दल BC (M)- Other (All) सप्तम दल EWS (M)- Other (All) अष्टम दल SC (M)- Other (All)	04.01.2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक एवं अपराह्न 3:00 बजे से 6:00 बजे तक
		प्रथम दल GEN (M)- Other (क्रम सं०-61 से 120) द्वितीय दल GEN (M)- Govt. of Bihar (क्रम सं०-57 से 112) तृतीय दल GEN (F)- Other (क्रम सं०-47 से 92) चतुर्थ दल EBC (M)- Govt. of Bihar (All) पंचम दल EBC (F)- Govt. of Bihar (All) षष्ठम दल BC (F)- Other & Govt. of Bihar (All) सप्तम दल EWS (F)- Other (All) एवं EWS (M)- Govt. of Bihar (All) अष्टम दल SC (M)- Govt. of Bihar (All)	06.01.2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक एवं अपराह्न 3:00 बजे से 6:00 बजे तक

		<u>प्रथम दल</u> GEN (M)- Other (कम सं०-121 से 170) <u>द्वितीय दल</u> PH- All <u>तृतीय दल</u> GEN (F)- Govt. of Bihar (कम सं०-01 से 62) <u>चतुर्थ दल</u> FF (All) <u>पंचम दल</u> ST (M&F)- Other & Govt. of Bihar (All) <u>षष्ठम दल</u> BC (M)- Govt. of Bihar (All) <u>सप्तम दल</u> EWS (F)- Other & Govt. of Bihar (All) एवं WBC- Other & Govt. of Bihar (All) <u>अष्टम दल</u> SC (F)- Other & Govt. of Bihar (All)	07.01.2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक एवं अपराह्न 3:00 बजे से 6:00 बजे तक
2.	कनीय अभियंता (यांत्रिक)	GEN (M&F)- Other & Govt. of Bihar (All)	04.01.2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक एवं अपराह्न 3:00 बजे से 6:00 बजे तक
		EWS, EBC & BC (M&F)- Other & Govt. of Bihar (All)	06.01.2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक एवं अपराह्न 3:00 बजे से 6:00 बजे तक
		SC, ST, FF, PH (M&F) एवं WBC- Other & Govt. of Bihar (All)	07.01.2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक एवं अपराह्न 3:00 बजे से 6:00 बजे तक
3.	कनीय अभियंता (विद्युत)	GEN (M&F)- Other & Govt. of Bihar (All)	04.01.2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक एवं अपराह्न 3:00 बजे से 6:00 बजे तक
		EWS, EBC & BC (M&F)- Other & Govt. of Bihar (All)	06.01.2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक एवं अपराह्न 3:00 बजे से 6:00 बजे तक
		SC, ST, FF, PH (M&F) एवं WBC- Other & Govt. of Bihar (All)	07.01.2021 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे तक एवं अपराह्न 3:00 बजे से 6:00 बजे तक


4. प्रमाण-पत्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थी उपरोक्त निर्धारित तिथि को निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा उनकी छायाप्रति की स्वअभिप्रमाणित प्रति अपने साथ आनिवार्य रूप से लायेंगे:-

- (i) मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण-पत्र,
- (ii) डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता से संबंधित मूल प्रमाण-पत्र एवं अंक प्रमाण-पत्र,
- (iii) शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र, जो Online आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो,
- (iv) अनुमंडल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (SC/ST आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिए),
- (v) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र (EWS Certificate) (जिसपर लागू हो),

- (vi) बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निमित्त जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (BC/EBC/WBC अभ्यर्थियों के लिए),
(vii) जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण-पत्र (जिसपर लागू हो),
(viii) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र (विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए),
(ix) Online आवेदन की प्रति।

5. प्रमाण-पत्रों का भौतिक सत्यापन के क्रम में Online आवेदन के साथ संलग्न किये गये प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों/सूचनाओं से भिन्नता पाया जाता है तो उन का अभ्यर्थित्व (candidature) रद्द कर दिया जायेगा एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

6. प्रमाण-पत्रों का भौतिक सत्यापन हेतु उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों पर विचार नहीं किया जायेगा।


28.12.2020
(राम सेवक प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।